



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261773
CG-DL-E-20032025-261773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1292]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1292]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1308(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5526 तारीख 23/12/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में NH-88 के कि.मी. 138+295 से कि.मी. 175+270 (SDM, नादौन जिला हमीरपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02-01-2025" को "दिव्य हिमाचल १" और "इन्डियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत नियत तिथि एवं समय तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में NH88 के कि.मी. 138+295 से कि.मी. 175+270 (SDM, नादौन जिला

हमीरपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश		जिले का नाम: हमीरपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6

तालुक का नाम: नादौन

गांव का नाम: पट्टा (19/25)

1	91/2/1	निजी (निजि)	गैर मुमकिन आबादी	0.0032	कुल भाग (2) अनिल कुमार पुत्र प्रीतम सिह पुत्र वीरु (1) भाग निवासी वरदयाड मौजा सपडोह गुरदास राम, गुरदयाल सिंह, श्याम लाल पुत्र व श्रीमति मनशा देवी विध्वा मतलवी राम पुत्र दसौन्धी भाग बराबर (1) भाग 91/2/1
---	--------	-------------	------------------	--------	---

गांव का नाम: जलाड़ीभडयारां (19/28)

2	824/593/1/1	निजी (निजि)	गैर मुमकिन आबादी	0.0021	श्रीमति विद्या देवी उपनाम विद्यावती विध्वा मुख्त्यार सिंह पुत्र धर्म सिह 824/593/1/1
---	-------------	-------------	------------------	--------	--

गांव का नाम: गगाल (19/40)					
3	188/1	निजी (निजि)	गैर मुमकिन सड़क	0.024	कुल भाग (3) प्रवीण कुमार पुत्र कश्मीर सिंह पुत्र लाभ सिंह (2) भाग विनरपाल, अजय कुमार, कुमार गौरव पुत्र व श्रीमति दर्शना देवी विध्वा राजिन्दर पाल पुत्र वावू लाल भाग बराबर (1) भाग 188/1
गांव का नाम: झमेर					
4	336/240	निजी (निजि)	गैर मुमकिन सड़क	0.01	कुल भाग (294) अमित कुमार (59) भाग पुत्र व श्रीमति सन्तोष कुमारी (39) भाग विध्वा अजीत सिंह पुत्र नथू मनोहर लाल, राज कुमार पुत्र नथू पुत्र मसदी भाग बराबर (196) भाग 336/240
5	337/240	निजी (निजि)	गैर मुमकिनसड़क	0.0041	कुल भाग (5) सुनील कुमार, राजेश कुमार पुत्र अमर नाथ पुत्र वेली राम भाग बराबर (1) भाग हरी चन्द पुत्र वेली राम पुत्र काहनू (4) भाग 337/240
6	338/240	निजी (निजि)	गैर मुमकिन सड़क	0.0027	कुल भाग (40) देविन्दर, सुदर्शन, रविकान्त पुत्र व आशादोसांच, श्रीमति कंचन पुत्रियां सुखदेव पुत्र गंगा राम भाग

					बराबर (20) भाग संधाशु नारायण, हिमाशु नारायण, अमृतशु नारायण पुत्र व श्रीमति प्रेम कान्ता विध्वा मान चन्द पुत्र गंगा राम भाग बराबर (9) भाग वासू देव पुत्र गंगा राम पुत्र ज्ञाला (11) भाग 338/240
गांव का नाम: लाहड़कोटलू (20/30)					
7	1969/1638/2	निजी (निजि)	गैर मुमकिन सङ्क	0.0352	कुल भाग (9870) तिलक राज पुत्र श्रीमति सीतो देवी पुत्री लाला (400) भाग संजय कुमार, अजय कुमार भाग बराबर (5735) भाग पुत्र व श्रीमति अंजना कुमारी, श्रीमति वंदना कुमारी भाग बराबर (3735) भाग पुत्रियाँ रोशन लाल पुत्र लाला 1969/1638/2
8	2055/324/2	निजी (निजि)	बंजर कदीम	0.0029	अजीत कुमार, यशपाल, राजेश कुमार पुत्र देवी सिंह पुत्र सुवा भाग बराबर 2055/324/2
Total				0.0842	

[फा. सं. NHAI/11013/PIU Hamirpur/3(a)/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2025

S.O. 1308(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5526 Dated:23/12/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH88 in the stretch of land from Km. 138+295 to Km. 175+270 (SDM, Nadaun, Distt.-Hamirpur) in the district of HAMIRPUR in the state of HIMACHAL PRADESH ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya Himachal(Hindi)” and “Indian Express (English)” both dated 02-01-2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received in the office of Competent Authority by the due date and time under Section 3-C;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEME

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH88 in the stretch of land from Km. 138+295 to Km. 175+270 (SDM, Nadaun, Distt.-Hamirpur) in the district of HAMIRPUR in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: HAMIRPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nadaun					
Village: Patta (19/25)					
1	91/2/1	Private	G.M. Awadi	0.0032	Total part (2) Anil Kumar son of Pritam Singh son of Viru (1) part resident of Vardayad Mauja Sapdoh Gurdas Ram, Gurdyal Singh, Shyam Lal son and Smt. Mansha Devi widow Matalvi Ram son of Dasondhi part equal (1) part 91/2/1
Village: JalariBhandiaran (19/28)					
2	824/593/1/1	Private	G.M. Awadi	0.0021	Smt. Vidya Devi alias Vidyavati widow Mukhtiar Singh son Dharan Singh 824/593/1/1

Village: Gagal (19/40)					
3	188/1	Private	G.M.Sadak	0.024	Total part (3) Praveen Kumar son of Kashmir Singh son of Labh Singh (2) part Vinarpal, Ajay Kumar, Kumar Gaurav son and Mrs. Darshana Devi widow Rajinder Pal son of Vavu Lal part equal (1) part 188/1
Village: Jhamer (20/6)					
4	336/240	Private	G.M.Sadak	0.01	Total Part (294) Amit Kumar (59) Part Son and Smt. Santosh Kumari (39) Part Widow Ajit Singh son of Nathu Manohar Lal, Raj Kumar son of Nathu Son of Masdi Part Equal (196) Part 336/240
5	337/240	Private	G.M.Sadak	0.0041	Total share (5) Sunil Kumar, Rajesh Kumar son of Amar Nath son of Veli Ram Share Equal (1) Part Hari Chand son of Veli Ram son of Kahanu (4) Part 337/240
6	338/240	Private	G.M.Sadak	0.0027	Total share (40) Devendra, Sudarshan, Rabikant sons and Ashadho Sach, Smt. Kanchan daughters Sukhdev son of Ganga Ram Share equal to (20) share Sandhashu Narayan, Himanshu Narayan, Amritshu Narayan son and Smt. Prem Kanta widow Maan Chand son of Ganga Ram Share equal to (9) share Vasu Dev son of Ganga Ram son of Jhala (11) share 338/240
Village: Lahar Kotlu (20/30)					
7	1969/1638/2	Private	G.M.Sadak	0.0352	Total share (9870) Tilak Raj son of Smt. Sito Devi daughter of Lala (400) share Sanjay Kumar, Ajay Kumar share equal

					(5735) share son and Smt. Anjana Kumari, Smt. Vandana Kumari share equal (3735) share daughters Roshan Lal son of Lala 1969/1638/2
8	2055/324/2	Private	Banjar Kadeem	0.0029	Ajit Kumar, Yashpal, Rajesh Kumar son of Devi Singh son of Suva Bhag equal 2055/324/2
Total				0.0842	

[F. No. NHAI/11013/PIU Hamirpur/3(a)/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director